दूरभाष 02982–230228 राजस्थान सरकार ईमेल secedubarmer@gmail.com

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) शिक्षा बाडमेर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/17–18 दिनांक 22.02.2018 एवम् 25.02.2018 व 28.02.2018 की पालना में चयनित कनिष्ठ सहायकों को निदेशालय स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से जिला एवं विघालय का चयन किये जाने के उपरान्त सलंग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित विघालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–5 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रुप में दो वर्ष की अवधि के लिये नियमानुसार देय नियत मानदेय 14600/– रु. प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विघमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इनकी नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 तथा राज्य सरकार के पत्र कमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

उक्त नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय (कनिष्ठ सहायक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किये जाने के उपरान्त तथा आवंटित पदों पर नियुक्तियों के सबंध में डी. बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवणसिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्याधीन तथा एसबीसी वर्ग में अस्थाई रुप से चयनित अभ्यर्थियों में से अस्थाई रुप से स्पष्ट रुप से पाये गये अभ्यर्थी जिनका परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरुवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अतंरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यधीन रहेगी।

सबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेगें :–

1– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार अभ्यर्थी से सबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त की जावें। यदि अभ्यर्थी चरित्र सबंधी सदाचरण रिपोर्ट कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत नहीं करता हैं तो भी आचरण की जांच का इंतजार नहीं किया जावें। एवं अभ्यर्थी से सदाचरण सबंधी शपथ पत्र (undertaking) प्राप्त कर कार्यग्रहण करवाया जावें। बाद पुलिस सत्यापन अभ्यर्थी के आचरण के विरुद्व प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। यदि किसी अभ्यर्थी की उनको पूर्व में आवंटित विभाग द्वारा जांच करवा ली गई हैं तथा जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत हैं तो उनका पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक नहीं हैं।

2– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं हैं।

3– राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त न्यूनतम शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष हैं, इसलिये जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई हैं, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैघ व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही हैं। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थियों नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्व कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

4– कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।

5– अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता हैं अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति किमीलेयर का नहीं हैं तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी किमीलेयर की श्रेणी में आता हैं तो उनको कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।

4066 / 08-03-18 08/3/18

6– धौलपुर/भरतपुर जिले का जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र कमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्लू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 से जाट समुदाय को राज्य अन्य पिछडा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं होने सबंधी दिशा निर्देशों के कम में यदि धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी, जो अन्य पिछडा वर्ग के चयन वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित हैं एवं नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।

7– कार्यग्रहण करने वाले आशार्थी का चेहरा एवं उसका आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो का मिलान कर, संतुष्ट होने पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे।

8– कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रुप से कर लेवें।

9– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरुप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावें।

10– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से सलंग्न प्रपत्र में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

11– कार्यग्रहण कराने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सबंधी वचनबद्वता (undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.03.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। सबंधित संस्थाप्रधान इन्हें शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

नोट :– कस 24 पर अंकित मेरिट कमांक 4181 जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में अनुपस्थित रहा हैं जिनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संस्था प्रधान को पाबन्द किया जाता हैं कि उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व नियुक्ति अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रमाण पत्रों की जांच कराने हेतु निर्देशित किया जावें। नियुक्ति अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच किये जाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ओमप्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

कमांक :– जिशिअ/माध्य/बाड़/संस्था–3/क.सहा./18/ 4066   दिनांक :– 08-03-18

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1– श्रीमान् विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
2– श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
3– श्रीमान् सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
4– श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5– श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर।
6– सबंधित संस्था प्रधान।
7– सबंधित कार्मिक।
8– रक्षित पत्रावली।

08/3/18
(ओमप्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

क्रमांक :– जिशिअ / माध्य / बाड / संस्था–3 / कनि. सहायक / 2018 / 4066 दिनांक :– 08.03.2018

क्रस	मेरिट संख्या	नाम अभ्यर्थी	BIRTHDATE	आवेदित वर्ग	चयन वर्ग	पिता का नाम	पदस्थापन स्थान (रामावि / राबामावि / राउमावि / राबाउमावि)
1	114	HAPOORAM	05/06/1991	BC	GENM	PURKHA RAM	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, ARNIYALI DHORIMANA
2	788	JAI PRAKASH	08/04/1992.	BC	GENM	BUDHRAM	GOVT. AADRASH GIRLS SR SEC SCHOOL, GUDA MALANI GUDAMALANI
3	1614	NARENDRA SARAN	09/10/1995	BC	GENM	DALA RAM CHAUDHARY	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, NATHONI JANIYO KI DHANIBAYTU
4	1658	HANUMAN RAM	08/04/1985	BC	GENM	UMA RAM VISHNOI	GOVT.SEC.SCHOOL, KATRALA KHILERIYAN DHORIMANA
5	1777	RAMESH KUMAR	06/09/1993	BC	GENM	BANKA RAM	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, BARMER AGORE BARMER
6	1785	RAM KUMAR	25/05/1994	BC	GENM	TULSA RAM	AADRASH GOVT.SR.SEC.SCHOOL, MITHARA KHURD DHORIMANNA
7	2049	MANOJ KUMAR	17/03/1991	BC	GENM	HIMATA RAM	GOVT. SR.SEC.SCHOOL, GALABERI BARMER
8	2233	MAHIPAL CHOUHAN	18/02/1992	BC	GENM	DHANRAJ KHARWAL	GOVT.SEC.SCHOOL, BHANDIYAWAS KALYANPUR
9	2329	DOONGAR DAN	10/08/1994	BC	GENM	BHANWAR DAN	GOVT.SEC.SCHOOL, KANASAR GOLAISHIV
10	2710	SANTU RAM	01/07/1994	BC	OBCM	CHHOGA RAM	GOVT.SER.SEC.SCHOOL, BERI GAON GUDAMALANI
11	2904	SHRI RAM	07/07/1993	SC	SCM	BHAMOO RAM	GOVT. GIRLS SEC.SCHOOL, SAWAU PADAM SINGH GIDA
12	2909	RADHE SHYAM	10/10/1994	BC	OBCM	NEMA RAM	GOVT. AADARASH SR.SEC.SCHOOL, KHER BALOTRA
13	3002	PRABHU RAM	20/02/1993	BC	OBCM	KALLA RAM	GOVT SEC. SCHOOL MEVANIYO KI DHANI BARMER
14	3035	JOGA RAM	01/08/1994	BC	OBCM	MOTA RAM	GOVT. SR. SEC. SCHOOL, RAMSAR KA KUA BARMER
15	3046	PREMA RAM DEWASI	25/04/1991	SB	OBCM	HUKMA RAM DEWASI	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, LOHARWA DHORIMANA
16	3200	SHAMBHU RAM SOYAL	03/05/1994	BC	OBCM	SOORATA RAM	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, CHADO KI DHANI SINDHARI
17	3306	AMIT JANGID	21/08/1992	BC	OBCM	PADMARAM	GOVT.SEC.SCHOOL, DARUDA BARMER
18	3371	MAHESH DAN	01/05/1992	BC,RG	OBCM	MANGI DAN	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, JHANPALI KALAN SHIV
19	3740	SURESH VISHNOI	05/08/1994	BC	OBCM	KISHNA RAM VISHNOI	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, SUDA BERI DHORIMANA
20	3887	VALA RAM	10/10/1993	BC	OBCM	GENA RAM	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, JUNA MEETHA KHEDA SINDHARI
21	4051	ISHAN KHAN	07/06/1995	BC	OBCM	KURBAN KHAN	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, RAJDAL SHIV
22	4070	DEVA RAM	01/08/1990	BC	OBCM	ISHARA RAM	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL- KAWAS BARMER
23	4097	VIJAY KUMAR	24/09/1987	SC	SCM	PUKH RAJ MOURYA	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, HATHI TALA BARMER
24	4181	LAXMAN CHOUDHARY	21/01/1994	BC	OBCM	BHINYA RAM CHOUDHARY	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, NEDI NADI DHORIMANA
25	4976	HARMATA RAM	20/01/1991	SC	SCM	ISHWAR RAM	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, TILWARA BALOTRA
26	5091	KISHNA RAM	03/07/1995	SC	SCM	CHAMPA RAM	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, DHANDHALAWAS GUDAMALANI

08/3/18

27	5121	PAWANI	01/07/1995	BC,WE	GENF	KUSHAL SINGH CHOUDHARY	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, KHARA RATHORAN RAMSAR
28	5436	RAMESH KUMAR	01/07/1990	SC	SCM	LEKH RAJ	GOVT.SEC.SCHOOL, AATI BARMER
29	5486	DAMRA RAM	26/06/1991	SC	SCM	BSARA RAM	GOVT.SEC.SCHOOL, KHUDALSHIV
30	5615	KHUSHBU GAUR	26/03/1995	GE,WE	GENF	PUKHRAJ GAUR	GOVT KANYA SEC. SCHOOL MOOLE KA TALLA BARMER
31	5644	HEMA RAM	15/11/1986	BC,LD	OBCM	LALA RAM	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, RAJBERA SHIV
32	5826	KOHLA RAM	07/01/1992	SC	SCM	LEKHA RAM	GOVT. SR.SEC.SCHOOL, MAJIWALA BALOTRA
33	5912	JAGADEESH KUMAR	06/08/1989	SC,LD	SCM	JEEYA RAM	GOVT.GIRLS.SEC.SCHOOL, JALIPA, BARMER

4066
08-03-18

08/3/18

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर